मादूराम /नानकुराम मु.नं. 66/2016

Gcms.न 2016/00127

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/2023	वकुलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित/स्थगन रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इतलंवा होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/02/23 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	
20/2/23	वकुलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित/स्थगन रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इतलंवा होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/5/23 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	
24/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/ भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी इतलवा होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 02/8/23 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	
02/08/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश रिपोर्ट प्रस्ताव मय नक्शा के अनुसार डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रकट की है। बहस जमाबन्दी की गई है। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश रिपोर्ट प्रस्ताव एवं नक्शा के आवश्यक भाग अनुसार Cont	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अह... इस हुक्म में ज...
	तरह मौजा कुशालपुरा के खसरा नम्बर 674, 675 में अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद इन्द्राज पत्रावली शामिल हो। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	

न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 66/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 10.08.2016
जीसीएमएस नम्बर :— 2016/00127

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. मादूराम पुत्र धूला जाति सिरवी निवासी कुशालपुरा

1. नानकराम पुत्र केसा
2. चेना पुत्र केसा
3. मांगीलाल पुत्र केसा
4. अजूडीदेवी पत्नि केसा
5. मैना पुत्री केसा
6. गुमना पुत्र सदा
7. देवा पुत्र सदा
8. हुकमा पुत्र सदा
9. नारायण पुत्र थानाराम
10. धर्मीचन्द्र पुत्र थानाराम
11. बाबुलाल पुत्र थानाराम
12. राजेन्द्र पुत्र थानाराम
13. लाबुदेवी पत्नि थानाराम
14. उम्मेदाराम पुत्र आशाराम
15. जोगाराम पुत्र भीका
16. स्वरूप पुत्र भीका
17. लालूराम पुत्र भीका
18. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादी
2 श्री प्रतिवादीगण अनुपस्थित

दिनांकः 02/08/2023

निर्णय

वादी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा के खसरा नम्बर 674 रकबा 41 बीघा चाही प्रथम, खसरा नंम्बर 675 रकबा 01 बीघा गै. मु. बेरा भूमि आयी हुई हैं। उपरोक्त खसरान की जमाबंदी वाद के साथ पेश हैं जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे, उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा आता हैं व प्रतिवादी संख्या 01 से 13 का 1/16 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 का 1/6 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 से 17 का 1/6 वां हिस्सा आता है। मौके पर बंटवाडा हो रखा हैं। जिसका नजरिया नक्शा वाद के साथ बना कर पेश किया जा रहा हैं जिसमें लाल रंग की भूमि वादी की हैं। जिसका कानूनन आज तक पक्षकार के बीच में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा हैं ,लेकिन मौके पर बंटवाडा हो रखा हैं तथा राजस्व रेकर्ड में भी सामलाती दर्ज हैं। वादी नजरिया नक्शा में बताये अनुसार हिस्सा आता हैं तथा वादी व सहकाश्तकार प्रतिवादीगण अपने हिस्से से ज्यादा पर कब्जा करना चाहते हैं और आये दिन सींव, पालडोल को लेकर अक्सर विवाद होता रहता हैं। इसलिए वादी उक्त सामलाती वादग्रस्त आराजी का नजरिया नक्शा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते हैं एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हैं। राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण, अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किया जावें। बहस एकपक्षीय समायत की गई। वकील वादी बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करने हेतु सहमत हैं। उक्त वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश दिये गये हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया था, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/1588 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया एवं सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां का बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न है:–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	मादूराम पुत्र धूलाराम कौम सिरवी सा देह खातेदार	674	3.8010	चा प्र	99.92
2	अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1585/36422, नानकराम पुत्र केसाराम 1585/36422, चेनाराम पुत्र केसाराम 1585/36422, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1585/36422, देवाराम पुत्र सदाराम 3170/18211, मंगलाराम पुत्र उमेदाराम 6340/18211, लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार 2113/18211 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1304/18211 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कौम सीरवी सा देह खातेदार	674/1	3.6422	चा प्र	95.54
3	भानाराम पुत्र उमेदराम कौम सीरवी सा देह खातेदार	674/2	0.1619	चा प्र	4.25
4	मादूराम पुत्र धूलाराम 1/2 अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1/48 नानकराम पुत्र केसाराम 1/48, चेनाराम पुत्र केसाराम 1/48, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1/48, देवाराम पुत्र सदाराम 1/12 मंगलाराम पुत्र उमेदराम 1/6 लीलादेवी पत्नि सुरेशकुमार 1/18 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1/36 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1/36 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1/18 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कौम सीरवी सा देह खातेदार	675	0.1618	गै मु बेरा	

प्राथमिक डिक्री की पालना अनुसार बंटवाडा करने हेतु. एवं अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। वकील वादी ने बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा करने के आदेश एवं अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के वादीं एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	मादूराम पुत्र धूलाराम कौम सिरवी सा देह खातेदार	674	3.8010	चा प्र	99.92
2	अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1585/36422, नानकराम पुत्र केसाराम 1585/36422, चेनाराम पुत्र केसाराम 1585/36422, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1585/36422, देवाराम पुत्र सदाराम 3170/18211, मंगलाराम पुत्र उमेदाराम 6340/18211, लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार 2113/18211 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1304/18211 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कोम सीरवी सा देह खातेदार	674/1	3.6422	चा प्र	95.54
3	भानाराम पुत्र उमेदराम कौम सीरवी सा देह खातेदार	674/2	0.1619	चा प्र	4.25
4	मादूराम पुत्र धूलाराम 1/2 अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1/48 नानकराम पुत्र केसाराम 1/48, चेनाराम पुत्र केसाराम 1/48, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1/48, देवाराम पुत्र सदाराम 1/12 मंगलाराम पुत्र उमेदराम 1/6 लीलादेवी पत्नि सुरेशकुमार 1/18 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1/36 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1/36 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1/18 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कौम सीरवी सा देह खातेदार	675	0.1618	गै मु बेरा	

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस **निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।** वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। वादी एंव प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 02/06/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद 66/2016

1. मादूराम पुत्र धूला जाति सिरवी निवासी कुशालपुरा

1. नानकराम पुत्र केसा
2. चेना पुत्र केसा
3. मांगीलाल पुत्र केसा
4. अजूडीदेवी पत्नि केसा
5. मैना पुत्री केसा
6. गुमना पुत्र सदा
7. देवा पुत्र सदा
8. हुकमा पुत्र सदा
9. नारायण पुत्र थानाराम
10. धर्मीचन्द्र पुत्र थानाराम
11. बाबुलाल पुत्र थानाराम
12. राजेन्द्र पुत्र थानाराम
13. लाबुदेवी पत्नि थानाराम
14. उम्मेदाराम पुत्र आशाराम
15. जोगाराम पुत्र भीका
16. स्वरूप पुत्र भीका
17. लालूराम पुत्र भीका
18. तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द्र सैन वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिंये जाते है।

सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां का बंटवाड़ा प्रस्ताव

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
		674	3.8010	चा प्र	99.92
1	मादूराम पुत्र धूलाराम कौम सिरवी सा देह खातेदार	674/1	3.6422	चा प्र	95.54
2	अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1585/36422, नानकराम पुत्र केसाराम 1585/36422, चेनाराम पुत्र केसाराम 1585/36422, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1585/36422, देवाराम पुत्र सदाराम 3170/18211, मंगलाराम पुत्र उमेदाराम 6340/18211, लीलादेवी पत्नि सुरेश कुमार 2113/18211 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1057/18211 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1304/18211 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कोम सीरवी सा देह खातेदार	674/2	0.1619	चा प्र	4.25
3	भानाराम पुत्र उमेदराम कौम सीरवी सा देह खातेदार	675	0.1618	गै मु बेरा	
4	मादूराम पुत्र धूलाराम 1/2 अजूडीदेवी पत्नि केसाराम 1/48 नानकराम पुत्र केसाराम 1/48, चेनाराम पुत्र केसाराम 1/48, मांगीलाल पुत्र केसाराम 1/48, देवाराम पुत्र सदाराम 1/12 मंगलाराम पुत्र उमेदराम 1/6 लीलादेवी पत्नि				

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	सुरेशकुमार 1/18 बगदाराम पुत्र स्वरूपराम 1/36 ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम 1/36 रहन लालूराम पुत्र भीकाराम 1/18 आरएमजीबी शाखा कुशालपुरा कौम सीरवी सा देह खातेदार				

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

नीज.................... ....मुबलिक.............. ....बाबत्........... .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02/08/23 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	31	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		–
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाब्रत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	01	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		32	00
मीजान		10	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।